



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45062

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7995/2026

रुखसाना बेगम

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद अशरफ अब्बासी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत मामला संख्या 13352/2025 (रुखसाना बेगम बनाम मोहम्मद तौफीक) का निर्धारित समय के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निर्णय किया जाना चाहिए। नियम 34 के उप-नियम (7) में निम्नलिखित लिखा है:-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. “(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर निर्विवाद उत्परिवर्तन मामले का और विवादित उत्परिवर्तन मामले का 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा”।
6. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपरोक्त अवधि बीत चुकी है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तरित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त मामले का निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, जे.)

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।